न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 165 / 2022

अनवान : –

1. अब्दुल सतार पुत्र सुरजे खां जाति मुसलमान निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. वाप्कोस प्रतिनिधि मुख्यालय हनुमानगढ़।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय

दिनांकः 02/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढ़ाणीलाल खां तहसील नोहर के खाता सं. 4 / 3 के ख.न. 131 की 4.7680 हैक्टर भूमि ख.न. 133 की 7.7140 हैक्टर भूमि ख. न० 134 की 2.4660 हैक्टर भूमि ख.न. 221 की 3.8700 हैक्टर भूमि कुल 18.8180 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायल का 3143 / 37636 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर के खाता. 4 / 3 के ख.न. 221 बाहमी बंटवारा में आई तथा उक्त भूमि के समीप ख.न. 220 की 1.4040 हैक्टर भूमि स्थित है, जो गोआ दर्ज है जो सायल के खेत के चिपती हुई भूमि है उक्त भूमि हमेशा में सायल के कब्जा काश्त में रही है जिसका सायल खातेदार काश्तकार है उपरोक्त आशयो की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है। रोही मौजा ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर के ख.न. 221 के पूर्वी तरफ का भाग ख. न. 220 है जो पूर्व में साबिका ख.न. 142 मीन से 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि मुर्तिब हुई है, तथा जिसके हाल ख.न. 220 है तथा उक्त भूमि सायल के खेत का भाग है पूर्व में खेत में ऊटो द्वारा भूमि काश्त होती थी उस समय पानी, पीने के लिए छोटा गढ़ढ़ा वादी द्वारा बना कर रखा गया था जो जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार गोआ दर्ज कर दिया अब मौके पर कोई गोआ अथवा गढ़ढ़ा नहीं है भूमि वादी द्वारा काश्त होती है उक्त भूमि वादी के खेत का भू–भाग है तथा उक्त भूमि के चारो और वादी ने कदिम्बी सींव कायम कर रखी है सायल ख.न. 220 की 1.4040 हैक्टर भूमि अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करापाने का अधिकारी है।

सायल ने गैरसायल को काफी मर्तबा कहा कि वाद भूमि से सायल को बेदखल करने से निषिद्ध रहे तथा सायल की काश्त में मिस्मार ना करे तावान आदि की कार्यवाही करने से निषिद्ध रहे क्योंकि वाद भूमि सायल के खेत का भाग है पूर्व में उक्त भूमि ऊटो के पानी पीने हेतु गढ़ा खोदा गया था जिसको गोआ नाम दिया गया अ[illegible] किस्म गोआ नही है तथा भूमि काश्त होती रही है इसलिए गैरसायल [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द करापाने का मजाज है कि गैरसायल सं. 1 सायल [illegible] व तावान आदि [illegible]वाही करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:20 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखा के ख0न0 220 की कुल 1.4040 हैक्ट भ्सूमि गे.मु0 गोवा दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर वादी काबिज है जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की भूमि गै0मु0 गोवा कैसे दर्ज हुई है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....02/12/25.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:20 IST
Reason: SelfAttested